# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।

## पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कंसौटिया, (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 31 / 2023

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| सोनाराम पुत्र श्री वजारामजी, जाति घांची, निवासी ग्राम धवा, तहसील झँवर, जिला जोधपुर । | | 01.खेराजराम पुत्र श्री हणुतरामजी, जाति विश्नोई, निवासी ग्राम धवा, तहसील झँवर, जिला जोधपुर ।<br>02.थानाअधिकारी पुलिस थाना झँवर ।<br>03.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झँवर |

**प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**अधिवक्तागणः –**

01 प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा उपस्थित ।

02 अप्रार्थी संख्या एक की और से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति उपस्थित ।

03 अप्रार्थी संख्या दो व तीन की और से राजकीय अधिवक्ता ।

**निर्णय** दिनांक :– 20/8/2023

पत्रावली में बहस सुनी गयी।प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमियां वाके राजस्व ग्राम धवा प्रथम, तहसील झँवर जिला जोधपुर में खसरा संख्या 1751 / 558 रकबा 0.4209 हैक्टेयर, खसरा संख्या 558 / 1 रकबा 1. 0522 हैक्टेयर, खसरा संख्या 555 रकबा 2.6466 हैक्टेयर आयी हुई स्थित हैं जिस पर बहैसियत खातेदार प्रार्थी काबिज हैं एवं काश्त करता हैं । सुविधा के लिहाज से राजस्व रेकर्ड वर्तमान जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शा इस प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत किया जा रहा हैं । प्रार्थी के उक्त कृषि भूमियों के पड़ौस में अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 558 कुल रकबा 1.4002 हैक्टेयर आयी हुई स्थित हैं । प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के खसरान की मध्य माठों पर प्रार्थी के पत्थर रोपकर तारबन्दी की हुई हैं तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के खसरान की कृषि भूमियों की राजस्व नक्शें में भी तरमीम दर्ज हैं । प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमियों पर परापरी से काबिज हैं एवं काश्त करता हैं तथा माठों पर आवारा पशुओं से बचाव हेतु कांटों की मेड़बन्दी करता हैं । इस वर्ष बारीश से पूर्व मई माह सन् 2023 में प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमियों पर सूड़ कर रहा था जिस पर अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थी के पास आया एवं धमकी भरें स्वरों में प्रार्थी से कहा कि इतने वर्षो तक तो खसरा संख्या 1751 / 558 पर खेती कर ली कोई बात नहीं लेकिन इस वर्ष खसरा संख्या 1751 / 558 पर खेती मत करना एवं न ही पिछे के खसरान की कृषि भूमियों में इस खसरें में से होकर प्रवेश करना । प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक से इसका कारण पुछा तो बताया कि इस खसरें की भूमि को हमारें जाति भाईयों ने अवश्य ही बेचान की हैं लेकिन अब हमे येन केन प्रकरेण यह भूमि वापस अपने कब्जे में लेनी हैं या तो सस्ते दामों में उक्त खसरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

संख्या 1751 / 558 की भूमि बेचान कर देवें अन्यथा तुम्हें उक्त तीनो खसरान की कृषि भूमियों में न तो प्रवेश करने देंगे एवं न ही खेती करने देंगे । प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक से निवेदन किया कि पिछे के दोनो खसरान में आने जाने हेतु उक्त खसरा संख्या 1751 / 558 में से ही उपयोग होता हैं तथा रास्ते के अलावा शेष बची हुई भूमि पर खेती की जाती हैं इसके लिये ही इस खसरें को कटाणी रास्ते से लेकर हमारे उक्त पिछे के दोनो के खसरों के लिये खरीद किया गया था यदि यह खसरा ही बेचान कर दिया जावेंगा तो पिछे के दोनो खसरों में खेती कैसे की जावेंगी । इस पर अप्रार्थी संख्या एक आग बबुला हो गया एवं वादी को ऐलानियां धमकी भरें स्वरों में कह दिया कि इस वर्ष तुम्हें इन खसरान की कृषि भूमियों में खेती नहीं करने दी जावेंगी एवं न ही प्रवेश करने दिया जावेंगा एवं यदि जबरदस्ती करोंगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे । अप्रार्थी संख्या एक की हरकतों से अप्रार्थी संख्या दो को उसी दिन अवगत करवाया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या दो ने प्रार्थी को सलाह दी कि अभी तो खेती करने में समय पड़ा हैं एवं यदि बरसात होने पर अप्रार्थी संख्या एक तुम्हें खेती नहीं करने देवें तो सक्षम न्यायालय में उसके विरूद्ध वाद पेश करके आदेश प्राप्त करें तत्पश्चात उक्त आदेश की प्रति लेकर अप्रार्थी संख्या एक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने बाबत् अपना प्रार्थना पत्र पेश करेंगे तो कानूनी कार्यवाही अमल में ला देंगे अन्यथा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करेंगे । बारीश होने के पश्चात दिनांक 18.06.2023 को प्रार्थी अपने उक्त तीनो खसरान की कृषि भूमियों के चारों तरफ तारबन्दी पर कांटे डाल रहा था एवं अपने खेत में तवियां जोत रहा था तो अप्रार्थी संख्या एक एवं उसके परिवानजन पुनः प्रार्थी के पास आये एवं प्रार्थी के खेत में चल रहें ट्रेक्टर को रूकवा दिया एवं प्रार्थी के साथ झगड़ने लग गये एवं प्रार्थी को मरने मारने पर उतारू हो गये एवं जबरदस्ती माठों को खुर्द बुर्द करने लग गये । प्रार्थी का पुत्र वहां आया तो प्रार्थी के पुत्र के साथ भी गाली ग्लौच करते हुए मारपीट करने पर उतारू हो गये एवं ऐलानियां धमकी भरें स्वरों में यह कहते हुए वहां से भाग गये कि यदि इन खसरान की कृषि भूमियों पर जबरदस्ती बुवाई करने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या दो एवं तीन को उक्त घटना से अवगत करवाया जा चुका हैं कि अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थी को काश्त नही करने दे रहें हैं एवं जबरदस्ती प्रार्थी के उक्त खसरान की कृषि भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं एवं माठों को खुर्द बुर्द करने का प्रयास कर रहें हैं लेकिन उनके द्वारा भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हैं । अप्रार्थी संख्या एक एवं उनके परिवारजन झगड़ालु प्रवृति के व्यक्ति हैं एवं अनावयक ही प्रार्थी को परेशान करने की नियत रखते हैं तथा उनके परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर प्रार्थी को कृषि कार्यो से वंचित करने की नियत रखते हैं इस कारण से प्रार्थी जब जब भी बुवाई

सहायक ... खण्ड अधिकारी,
लूणी

करता हैं तब वह एवं उनके परिवार के सदस्य मिलकर लड़ाई झगड़े करने पर उतारू हो जाते हैं अप्रार्थी संख्या एक एवं उनके परिवार के सदस्यों ने तो प्रार्थी को यहां तक धमकियां दे दी हैं कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक के खेतों की मध्य माठों को खुर्द बुर्द कर दिया जावेगा एवं उक्त माठों को खुर्द बुर्द पश्चात अप्रार्थी संख्या एक अपने खेत के अन्दर मिला देगा एवं उक्त प्रार्थी के तीनो खसरान की कृषि भूमियों पर खेती तो किसी भी सूरत में नहीं करने देगे एवं यदि जबरदस्ती खेती करेंगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे । प्रार्थी ने अप्रार्थी एवं उनके परिवार के सदस्यों से प्रार्थी के उक्त तीनो खसरान की माठों को खुर्द बुर्द नहीं करने हेतु एवं प्रार्थी को उक्त तीनो खसरान की कृषि भूमियों में दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् उनसे समझाईश कर चूके हैं लेकिन अप्रार्थी संख्या एक एवं उनके परिवार के सदस्यों ने मिलकर प्रार्थी को ऐलानियां धमकीयां भी दी कि हम लोग तुम्हें आपके खातेदारी अधिकारों का उपयोग ही नहीं करने देंगे एवं न ही इस खसरें पर किसी प्रकार की कोई काश्त करने देंगे अप्रार्थी संख्या एक एवं उनके परिवारजन बार बार मौका मिलते ही प्रार्थी के उक्त खसरेां पर कब्जा करने पर उतारू हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास अप्रार्थी संख्या एक के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु मूल वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा हैं । अप्रार्थी संख्या एक एवं उनके परिवार के सदस्यों की हरकतों को देखते हुए अब प्रार्थी को पूर्ण अंदेशा हो गया हैं कि वे प्रार्थी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि एवं उनकी माठों को खुर्द बुर्द भी कर रहें हैं एवं प्रार्थी को उक्त तीनो खसरों से भी बेदखल भी कर सकते हैं एवं जबरन माठों को खुर्द बुर्द भी करने पर उतारू हैं तथा आवारा पशुओं से भी नुकशान पहूंचाने पर उतारू हैं एवं प्रार्थी को कृषि कार्यो से वंचित भी कर रहें हैं। यदि अप्रार्थी संख्या एक एवं उनके परिवार के सदस्य एवं एजेन्ट इत्यादी ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थी का वाद पेश करने का उद्धेश्य ही निष्फल हो जायेगा तथा प्रार्थी को अपार नुकसान होगा जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी जिससे वाद की बहूलता होगी तथा मूल वाद का निर्णय करने में कठिनाईयां आवेंगी। प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं मामले के हालात को देखते हुए न्यायहिंत में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना जरूरी हैं । प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में वाद पेश किया हैं जिसमे सफलता मिलने की पूर्ण आशा हैं । अंत में निवेदन किया कि ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी संख्या एक इस आशय की जारी की जावें कि ग्राम धवा प्रथम, तहसील झँवर, जिला जोधपुर में स्थित खसरा संख्या 1751/558 रकबा 0.4209 खसरा संख्या 558/1 रकबा 1.0522 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 555 रकबा 2.6466 हैक्टेयर की तीनो खसरान की प्रार्थी की कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमियों में अप्रार्थी संख्या एक एवं उनके परिवार के सदस्य एवं एजेन्ट इत्यादी

सहाय... ...अधिकारी,
लूणी

प्रवेश नहीं करें एवं न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी करें एवं न ही माठों को खुर्दबुर्द इत्यादी करें एवं न ही प्रार्थी द्वारा आवारा पशुओं से सुरक्षा हेतु की जाने वाली मेड़बंदी में किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी करें एवं प्रार्थी के खेती कार्यो में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करें एवं अप्रार्थीगण संख्या दो व तीन को आदेश दियें जावें कि वे मौके पर शांति व्यवस्था कायम करावें एवं अप्रार्थी संख्या एक को प्रार्थी के उक्त तीनो खसरों में प्रवेश नहीं करने हेतु एवं खेती कार्यो में रूकावट पैदा नहीं करने हेतु पाबंद किया जावें ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की तरफ से अधिवक्ता हनुमान प्रजापति ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या एक की तरफ से जवाब भी पेश किया । अप्रार्थी संख्या एक ने अपने जवाब में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के सम्पूर्ण तथ्यों का खण्डन किया गया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी का बहस मे कथन रहा कि विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का वक्त खरीद से ही मौके पर कब्जा काश्त है तथा खसरा नम्बर 1751/538 जो चूँकि प्रार्थी ने वर्ष 1988 मे खरीद की थी जो रास्ते के लिए खरीदी थी जिस बेचान नामे से अप्रार्थी की साख है तथा मौके पर तारबन्दी की हुई है परन्तु अब अप्रार्थी अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे है जिसको अस्थाई निषेधाज्ञा मे रोका जाना आवश्यक है ।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस मे कथन किया कि उक्त विवाद मात्र तरमीम दुरस्ती का है जिसमे ऑनलाईन तरमीम अप्रार्थी को बिना सुने एवं बिना मौके देखे कर दी गई जिसे दुरस्ती की कार्यवाही अप्रार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश कर दी गई है तथा विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नही है तथा अप्रार्थी वर्ष 1982 से ही वक्त खरीद से ही खसरा नम्बर 558 की भूमि जिसके नाप एव पडौस बेचाननामे मे अंकित है कि भूमि पर काबिज है उक्त बेचाननामा के पूर्वी दिशा मे खसरा नम्बर 557 अंकित है ऐसी स्थिति मे अप्रार्थी की भूमि एवं खसरा नम्बर 557 की भूमि के बीच मे कोई भूमि नही है इन परिस्थितिया मे प्रार्थी का खसरा नम्बर 1751/558 की भूमि नही आती है तथा मौके पर अप्रार्थी की तारबदी की गई है तथा माठे कायम है तथा कोई रास्ता नही है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खरीज किया जावे।

बहस एव पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी की भूमि बाबत स्थगन चाहा है जबकि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 1751/558 की स्थिति को लेकर है जहाँ प्रार्थी अपना कब्जा बताता है तथा अप्रार्थी अपना कब्जा बताता है

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

तथा दोनो की पक्षकार अपने अपने बेचाननामो के आधार पर कब्जा होना बता रहे है इन बिन्दु का अवलोकन किया जावे तो अप्रार्थी के पक्ष मे बेचाननामो वर्ष 1982 का है जिसमे नाप एव पडौस अंकित है जिसमे पूर्वी दिशा मे खसरा नम्बर 557 है तथा कब्जा प्राप्त करना अंकित है जबकि प्रार्थी के पक्ष मे बेचाननामा 1990 का है जो बाद का है यधपि उसमे भी पूर्वी दिशा मे खसरा नम्बर 557 है तथा पश्चिम दिशा मे खेराजराम का पडौस है परन्तु जब भूमि एक बार व्रिकय हो जाती है तथा कब्जा किसी केता को सुपुर्द कर दिया जाता है तो बिना किसी आदेश से कब्जा नही लिया जा सकता है ऐसी स्थिति मे जब 1982 मे अप्रार्थी का कब्जा होना लिखा है तो 1982 मे प्रार्थी का कब्जा संदेह उत्पन्न करता है तथा प्रार्थी के पक्ष मे बेचाननामो के साथ सलग्न नक्शे का भी अवलोकन करे तो सलग्न नक्शे अनुसार तरमीम नही है जिसमे तरमीम के शुद्व होने पर शंका उत्पन्न होती है तथा प्रार्थी द्वारा कब्जा रास्ते के रूप मे होना लिखा है जककि फोटो ग्राप्स मे रास्ता के कोई अलामात नही है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी के कथन संदेह उत्पन्न करते है इन परिस्थितियो मे प्रार्थी के पक्ष मे कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नही बनना पाया जाता है तथा प्रार्थी का कब्जा सिद्व नही होने के कारण असुविधा अप्रार्थी को प्रार्थी से ज्योंदा होगी तथा अप्रार्थी का क्षति की संभावना ज्यादा है तथा प्रार्थी द्वारा अपने कथनो एव अप्रार्थी द्वारा अशुद्व तरमीम बाबत तथा बाद साक्ष्य ही तय किया जा सकता है परन्तु प्रथम दृष्ट्या कब्जे की स्थिति प्रार्थी के पक्ष मे नही है तथा दस्तावेज भी संदेह उत्पन करते है। इन तमाम परिस्थितायो मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित नही है तथा प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का संतुलन एव अपूर्वनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे नही बनना पाया जाता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया)RAS
सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी